विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-23/16

श्री सुदामा कृष्ण गुप्ता — आवेदक
पुराना बस स्टेण्ड,
उत्सव वाटिका,
शिवपुरी (म.प्र.)

विरूद्ध

उपमहाप्रबंधक (सं./सं.), संभाग, — अनावेदक
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
शिवपुरी (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 22.12.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा शिकायत प्रकरण क्रमांक जी./टी. 01/2016 श्री सुदामा कृष्ण गुप्ता, विरूद्ध उप महाप्रबंधक (सं./संधा.), संभाग, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. शिवपुरी में पारित आदेश दिनांक 08.09.2016 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–23/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 प्रकरण की सुनवाई में आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं पर राहत प्रदान करने का अनुरोध किया–

अ केपेसिटर चार्जेस व इस अवधि के ब्याज वापस किये जायें।

ब आडिट द्वारा निकाली गई रिकवरी रूपये 19332/– जो आवेदक से वसूल की गई उसे वापस की जाए।

स सेक्शन 126 के तहत वसूल की गई राशि को मय ब्याज के वापस दिलाये जायें।

04 तर्क के दौरान आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा आवेदन विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष प्रस्तुत कर उपरोक्त बिन्दुओं पर राहत प्रदान करने का अनुरोध किया था ।

05 फोरम द्वारा दिनांक 8.9.2016 को पारित आदेश में निम्नलिखित निर्णय दिये गये–

अ आवेदक की लेट पैमेंट सरचार्ज एवं केपेसिटर सरचार्ज एवं केपेसिटर (पावर फैक्टर सरचार्ज) की मांग क्र. 1 और 3 निरस्त की जाती है।

ब आवेदक के जले मीटर जिसकी कीमत रूपये 2770/– है उसकी डेप्रिसियेटेड कास्ट वसूल योग्य है अतः इस डेप्रिसियेटेड राशि को रूपये 16517/– में कम कर शेष राशि आवेदक को वापस की जावे।

स उपभोक्ता का मीटर मई 2014 से अक्टूबर 2014 तक जले होने की स्थिति में स्थापित होने के कारण विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.22 के अनुसार उपभोक्ता से वसूला गया मीटर किराया उपभोक्ता के बिल में समायोजित किया जावे।

द नया मीटर स्थापित कियाजाने के पश्चात मीटर किराया न लिये जाने की आवेदक की मांग नियमानुसार न होने के कारण निरस्त की जाती है।

06 आवेदक के अभ्यावेदन के अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि आवेदक द्वारा उपभोक्ता फोरम के निर्णय के विरूद्ध राहत प्रदान करने के अलावा भी अभ्यावेदन में दो अन्य बिन्दु जोड़ दिये जिसमें कि उनके द्वारा परिसर में हुई चैकिंग एवं पायी गई अनियमितता के विरूद्ध दिये गये विद्युत देयक एवं पूर्व में आडिट द्वारा निकाली गई रिकवरी को वापस दिलाने का अनुरोध किया गया।

07 अनावेदक द्वारा बहस के दौरान यह तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा फोरम के निर्णय से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत अभ्यावेदन में दो अन्य नये बिन्दु जोड़े गये हैं अतः इस प्रकरण में उक्त बिन्दुओं पर चर्चा की जाना उचित नहीं होगा। अनावेदक के तर्क को स्वीकार करते हुए आवेदक को निर्देश दिये गये कि वे अन्य बिन्दुओं के लिए पुनः शिकायत उपभोक्ता फोरम में करें तथा वहां से राहत प्राप्त करें।

08 अनावेदक द्वारा दिनांक 01.12.2016 को सुनवाई के दौरान दिये गये निर्देशानुसार निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई–

अ सितंबर, 2014 से जुलाई, 2016 तक की प्रतिमाह की मीटर रीडिंग डायरी।

ब आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर का विवरण तथा उसके अंदर कौन–कौन से फीचर है का विवरण।

09 अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारी के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि–

(i) आवेदक के परिसर में जो मीटर लगा हुआ है उसमें पावर फैक्टर दर्ज करने का फीचर का प्रावधान है जिसके अनुसार सितंबर, 2014 से जुलाई, 2016 तक किसी भी माह में पावर फैक्टर 0.8 या उससे अधिक दर्ज नहीं हुआ है। (ओई–1)

(ii) अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उपभोक्ता फोरम के आदेश दिनांक 8.9.2016 के तहत आवेदक को दी गई राहत जो कि फोरम के निर्णय के बिन्दु क्रमांक 2 व 3 के अनुसार विद्युत देयक संशोधित कर आवश्यक क्रेडिट आवेदक के नवंबर, 2016 के विद्युत देयक में दी जा चुकी है।

10 उपरोक्त तर्कों एवं प्रस्तुत प्रदर्श के आधार पर यह स्पष्ट है कि आवेदक को उनके द्वारा चाही गई राहत केपेसिटर सरचार्ज एवं बिलम्ब से किये गये भुगतान पर लिये गये सरचार्ज को वापस करने संबंधी कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती एवं फोरम द्वारा दिये गये निर्णय अनुसार

आवेदक को आवश्यक राहत दी जाकर राशि का समायोजन नवंबर 2016 के विद्युत देयक में दी जा चुकी है।

11 अतः विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश दिनांक 08.09.2016 की पुष्टि करते हुए आवेदक का अपील अभ्यावेदन खारिज किया जाता है ।

12 उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

13 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल